न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा
18.06.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा कर दिए जाने से वकील वादी ने प्रकरण में आज बहस सुनी जाने का निवेदन किया, वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 10.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
10.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका । वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 11.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
11.07.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी [illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में [illegible] पाए जाने पर स्वीकार किया [illegible] है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
197 / 2024	2024 / 221	12.07.2024	11.07.2025

उनवान प्रकरण

1. सुरेश कुमार सैनी पुत्र बनवारीलाल सैनी आयु 46 वर्ष
2. रामचन्द्र सैनी पुत्र बनवारीलाल सेनी आयु 37 वर्ष

––वादीगण––

बनाम्

1. छीगनलाल पुत्र जगन्नाथ आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी मालियान तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर सें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—: निर्णय :—

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि खाता संख्या नवीन 226 के भूमि खसरा नम्बर 3854/7858रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 3861 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 1.02 हैक्टर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान मे अवस्थित है जिसकी 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। शेष हिस्से से विवाद नही होने से अन्य सह खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 आपस मे एक ही परिवार के है तथा वादीगण के पिता स्व. बनवारीलाल एवं प्रतिवादी संख्या–1 छीगनलाल आपस मे सगे भाई है। उक्त वगर्णत भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 ने असो कदीम से आपस मे सहुलियत के अनसार बाहमी बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार वादकी मे वर्णित भूमि मे प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से मे` 0.08 हैक्टर वादीगण के हक हिस्से एव अधिकार में आयी है। इस प्रकार वादीगण उक्त रकबे 0.08 हैक्टर पर काबिज काश्त चल आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि के अनुसार वादीगण अपने हिस्से मे आयी हुयी भूमि पर कबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के कब्जा काश्त व पारिवारीक बंटवारा मे आयी उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1के नाम से होने से वादीगण अपनी उक्त भूमियों का भली भांति रूप से विकास नही कर पा रहे है व सरकारी सुविधाओ से वंचित हो रहे है। इसलिए वादीगण अपनी उक्त भूमि रकबा 0.08 हैक्टर की खातेदारी अपने नाम करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 को अपनी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने के लिए बार–बार कहते रहे व [illegible] खातेदारी वादीगण के नाम वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 उनकी [illegible] दिनांक 16.06.2024 को करवाने का कफी समय [illegible] खातेदरी वादीगण के नाम करवाने प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण की उक्त भूमि [illegible] कब्जा काश्त मे मजाहमत पैदा करने लग से स्पष्ट मना कर दिया व वादीगण के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हक। वादकारण दिनांक 18.06.2024 प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण के नाम खोरी दुरूस्त कराने से इंकार होने व वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व वादीगण को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व दीगर मुनाफिआवुदित के लाभो को बेचान करने रहन रखने तथा भूमियो को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि मे तब्दील करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा है। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि खाता संख्या 226 के भूमि खसरा नम्बर 3854/7858 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 3861 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता-2 कुल रकबा 1.02 हैक्टर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में से वादीगण को 0.08 हैक्टर का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त रकबे से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त वर्णित भूमि खाता संख्या नवीन 226 के भूमि खसरा नम्बर 3854/7858 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 3861 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हैक्टर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में वादीगण के 0.08 हैक्टर मे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करे ना दीगर से करावे ना ही जोर जबरन बेदखल करे ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करे ना ही किसी अन्य से ऐसा करवाये तथा उक्त भूमि का दीगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई अन्तरण विक्रय नही करे ना ही ऋण प्राप्त करे ना ही भूमियो को खुर्द-बुर्द करे ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करें उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया है। वादीगण ने यह दावा बहक [illegible] प्रतिवादीगण का न्यायालय में पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण की पहचान वकील श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने एव प्रतिवादी संख्या-1 की पहचान श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 ने की। पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। शेष प्रतिवादी 2 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादीगण साक्ष्य में वादीगण सुरेश कुमार सैनी पुत्र बनवारीलाल व रामचन्द्र सैनी पुत्र बनवारीलाल का मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वकील प्रतिवादी के द्वारा राजीनामा कर दिए जाने वकील वादीगण ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा, साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश शपथ पत्रों व दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त [illegible] के द्वारा बाहमी बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर अपने-अपने [illegible] पर काबिज काश्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

का कथन किया गया है लेकिन वकील वादीगण ने इस संबंध में किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किए है लेकिन प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा वादीगण के पक्ष मे इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा कर दिए जाने से उक्त वादपत्र को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादीगण स्थानांतरित हो रही भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करावें। वादपत्र में अंकित कथनों की ताईद साक्ष्य वादीगण में वादीगण सुरेश कुमार सैनी पुत्र बनवारीलाल व रामचन्द्र सैनी पुत्र बनवारीलाल का मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि खाता संख्या 226 कै भूमि खसरा नम्बर 3854/7858 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 3861 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 1.02 हैक्टर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली [illegible] राजस्थान में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/3 [illegible] 0.68 हैक्टर का वादीगण को क़ाबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर [illegible]क्त भूमि से प्रतिवादी नमबर 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

...म राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। ...कानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में वादीगण के हिस्से में स्थानांतरित हो रही भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त स्टाम्प शुल्क जमा करने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट्ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट्ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * श्रीमाधोपुर (सीकर) *

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested